बिहार सरकार,

पर्यावरण एवं वन विभाग

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया। पटना–14, दिनांक–......../......../2017

विषय : नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C शेखपुरा (नई)–नवादा (नई) फेज–IV पार्ट–I पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.063 हे० वन भूमि का "अपर महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहारशरीफ (नालंदा) के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 769 दिनांक 20.06.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 25.02.16 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ नवादा जिलान्तर्गत 220 KV D/C शेखपुरा (नई)–नवादा (नई) फेज–IV पार्ट–I पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) अपयोजित होने वाली 0.063 हे० वन भूमि का NPV की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 39,438/– मात्र की राशि जमा की जायेगी।

(iii) यद्यपि परियोजना निर्माण में मात्र एक वृक्ष का पातन होना है फिर भी 50 वृक्षों का रैखिक क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी वर्त्तमान दर पर राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्रांक 682 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के आलोक में अद्यतन मजदूरी दर पर प्राक्कलन तैयार (GPS Reading के साथ) कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएगें।

(iv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Net Present Value (NPV) और सभी अन्य मद की राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority

(CAMPA) के Ad-hoc Body द्वारा निर्धारित बचत लेखा संख्या SB01025201 Name- CAF Bihar, A/C No.- SB01025201, Corporation Bank CG Complex, Phase-I, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 RTGS/IFSC No. CORP0000371) में **e-challan के माध्यम से** फंड ट्रांसफर कर जमा कराया जायेगा। उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति में दी जाय।

(v) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(vi) आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।

(vii) राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा योजना तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जायेगी।

(viii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक (एक) वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन/कटाई–छँटाई वन विभाग की देख–रेख में प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा।

(ix) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(x) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(xi) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।

(xii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(xiii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।

(xiv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।

(xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xvii) उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

(xviii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xix) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में अपर महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहारशरीफ) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को यह शक्ति प्रत्योजित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है। इस प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार की अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– (F.C) .... दिनांक ....

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/ वन महानिरीक्षक–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड–हॉक कैंपा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– (F.C) .... दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– (F.C) ...1136... दिनांक 07/11/2017

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल नवादा/अपर महाप्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A K Pandey 07/11/17
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

कार्यालय :— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

द्वितीय तल, निर्मला भवन, राजेन्द्र नगर, नवादा।

दूरभाष नं0–06324–217078, email :- dfonawada@rediff mail. com.

पत्रांक ...3503...... दिनांक 07/12/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल गया।

विषय :— नवादा जिलान्तर्गत 220 Kv D/C शेखपुरा/नई नवादा (नई) फेज– I V पार्ट–1 पारेषण लाईन के निर्माण हेत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.063 हे0 वन भूमि का अपर महाप्रबंधक बिहार ग्रिड कम्पनी लि0 बिहार शरीफ (नालन्दा) के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

प्रसंग :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार पटना का ज्ञापांक– F.C 1136 दिनांक– 07.11.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 3429 दिनांक– 24.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में सूचित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत शेखपुरा (नई) – नवादा (नई) फेज IV पार्ट–1 पारेषण लाईन के निर्माण हेत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि अपयोजन एवं मात्र 01 वृक्ष के पातन होने के बदले 50 (पचास) लौह गैबियन क्षतिपूरक वृक्षारोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन एवं तकनीकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन (प्राक्कलित राशि–427514.00) अधतन मजदुरी दर– 247/–प्रतिमानव दिवस के आधार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(आलोक कुमार)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक – 3503 दिनांक – 07/12/17

प्रतिलिपि :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार पटना को उनके ज्ञापांक– F.C 1136 दिनांक– 07.11.2017 के क्रम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

ज्ञापांक – 3503 दिनांक 07/12/2017

प्रतिलिपि :— मुख्य प्रबंधक, बिहार ग्रीड कम्पनी लि0 पावर ग्रीड विधुत उपकेन्द्र परिसर पटना रॉची रोड बिहार शरीफ को उनके पत्रांक– 10 दिनांक– 11.11.2017 के क्रम में अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0यथोक्त।

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।

161-Uttam/General Letter2017

Government of Bihar

Department of Environment and Forest

Nawada Forest Division, Nawada

Compensatory Scheme for Iron Gabion Plantation.

Name of Scheme - 220 KV D/C Sheikhpura (New) - Nawada (New) Transmission Line

Length of Linear Plantation	200 m	District	Nawada	GPS Coordinates	24.85 3509 N, 85.47 9349 E, 24.85 2563 N, 85.47 9100 E, 24.85 2233 N, 85.21 5464 E, 24.80 2321 N, 85.48 7231 E.
No of Plants	50	Block	Hisua		
Average Height of Plants	5-6Ft	Range	Hisua		
Daily Labour Wage Rate	247	Site	Khanpura Village		

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस-247/- रूपये

Item no	कार्य	इकाई	भौतिक लक्ष्य (पौधा)	आवश्यक मानव दिवस	मजदूरी दर	मजदूरी	सामग्री	कुल
20.0	अग्रिम एवं रोपवन (प्रथम वर्ष)							
20.0.1	6' x 2ft (जमीन के ऊपर) आकार का लौह गैबियन का निर्माण सामग्री एवं मजदूरी सहित	प्रति गैबियन	50	-	247.00	0.000	2,294.00	114,700.00
20.0.2	गड्ढा खुदाई 45 cm x 45 cm x 45 cm कड़ी भूमि (मिट्टी परिवहन)	प्रति 1000 पौधा	50	0.0879	247.00	21.711	-	1,085.57
20.0.3	लौह गैबियन को ढुलाई/परिवहन स्थल तक ढुलाई कर पी.सी.सी. द्वारा जमीन में स्थापित करना।	प्रति 1000 पौधा	50		247.00	353.000	-	17,650.00
20.0.4	पौधा रोपण (10 ग्राम डी.ए.पी. एवं 7 ग्राम कीटनाशक मिट्टी एवं वर्मी कम्पोस्ट के मिश्रण के साथ।	प्रति 1000 पौधा	50	0.0960	247.00	23.712	2.50	1,310.60
20.0.5	5-6' फीट ऊंचाई के पौधे का क्रय, परिवहन एवं लोडिंग अनलोडिंग सहित इत्यादि (20 प्रतिशत अधिक के साथ) (150 प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	60	-	247.00	0.000	150.00	9,000.00
20.0.6	7 लीटर साईज का मिट्टी का मटका का क्रय, परिवहन एवं स्थापित करने सहित	प्रति 1000 पौधा	50		247.00	0.000	-	-
20.0.7	मृत पौधा (Dead Nursery) (50रू० प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50		247.00	0.000	50.00	2,500.00
20.0.8	वर्मी कम्पोस्ट (पीट में मिट्टी के साथ डालने हेतु) का क्रय परिवहन के साथ प्रति पौधा 5 किलो ग्राम। (50रू० प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50	-	247.00	0.000	50.00	2,500.00
20.0.9	विविध कार्य (सूचना पट्ट इत्यादि)		50		247.00		5,000.00	5,000.00
20.0.10	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, औजार इत्यादि का क्रय। (80रू० प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50	-	247.00	0.000	80.00	4,000.00
20.0.11	प्रथम वर्ष पौधों के लगातार कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 8 माह (जुलाई से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x242x9) = 56628 रू. प्रति 500 पौधा, रासायनिक खाद एवं पटवन सामग्री, डेगा इत्यादि।	प्रति 500 पौधा	500	0.4680	247.00	115.596	-	57,798.00
							कुल-	215,544.17
20.1.0	द्वितीय वर्ष (प्रथम वर्ष सम्पोषण)							
20.1.1	पौधा के दो कोड़नी निकौनी, मृत पौधों का बदलाव तथा 12 माह (अप्रैल से मार्च तक) पटवन हेतु एक मजदूर (26x242x12) = 75,504 प्रति 500 पौधा रासायनिक खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं पटवन सामग्री इत्यादि।	प्रति 1000 पौधा	50	0.624	247.00	154.13	-	7,706.40
20.1.2	विविध कार्य (पटवन एवं संबंधित सामग्री, औजार इत्यादि का क्रय। (80रू० प्रति पौधा)	प्रति 1000 पौधा	50		247.00	-	80.00	4,000.00
20.1.3	मृत पौधों का बदलाव @150/- रू. प्रति पौधा का 10 प्रतिशत पौधों का बदलाव	प्रति 1000 पौधा	50		247.00	-	15.00	750.00
							कुल-	12,456.40
20.2.0	तृतीय वर्ष (द्वितीय वर्ष सम्पोषण)							
20.2.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 06 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00

20.3.0	चतुर्थ वर्ष (तृतीय वर्ष सम्पोषण)							
20.3.1	1 से 150 पौध0 हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
20.3.5	वेटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गेबियन	50			-	100.00	5,000.00
							कुल-	19,820.00
20.4.0	पंचम वर्ष (चतुर्थ वर्ष सम्पोषण)							
20.4.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00
20.5.0	षष्ठम वर्ष (पंचम वर्ष सम्पोषण)							
20.5.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00
20.6.0	सप्तम वर्ष (षष्ठम वर्ष सम्पोषण)							
20.6.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
20.6.5	वेटिंग आदि विविध व्यय।	प्रति गेबियन	50			-	100.00	5,000.00
							कुल-	19,820.00
20.7.0	अष्टम वर्ष (सप्तम वर्ष सम्पोषण)							
20.7.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00
20.8.0	नवम् वर्ष (अष्टम वर्ष सम्पोषण)							
20.8.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00
20.9.0	दसम वर्ष (नवम् वर्ष सम्पोषण)							
20.9.1	1 से 150 पौधा हेतु प्रति माह 05 मजदूरी	प्रति माह	1-150	5	247.00	-	-	14,820.00
							कुल-	14,820.00
							कुल योग-	356,560.57

योजना का सारांश–

क्र0 सं0	वर्ष	राशि	सम्भावित वृद्धि	कुल	अभ्युक्ति
1	2017–18	215,544	-	215,544	
2	2018–19	12,456	1,246	13,702	10 प्रतिशत
3	2019–20	14,820	2,964	17,784	20 प्रतिशत
4	2020–21	19,820	5,946	25,766	30 प्रतिशत
5	2022–22	14,820	5,928	20,748	40 प्रतिशत
6	2023–23	14,820	7,410	22,230	50 प्रतिशत
7	2024–24	19,820	11,892	31,712	60 प्रतिशत
8	2025–25	14,820	10,374	25,194	70 प्रतिशत
9	2026–26	14,820	11,856	26,676	80 प्रतिशत
10	2027–27	14,820	13,338	28,158	90 प्रतिशत
		356,561	70,954	427,514	

Technical Approval Granted For Rupees	427,514

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
हिसुआ वन प्रक्षेत्र।

6/11/2017

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नवादा वन प्रमण्डल, नवादा।